

विशेष विवरणी का फार्मेट

(कृपया 21 जनवरी 1999 का परिपत्र सं. गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 8/02.01/98-99 देखें)

(जनता से जमाराशियां लेने वाली या न लेने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जानी हैं)

1. कंपनी का नाम और
पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता
टेलीफोन सं. फैक्स सं. (अगर हो तो)
2. कुल परिसंपत्तियाँ
3. परिसंपत्तियों के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण
4. पिछले(last) लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख
5. उपर्युक्त तुलन पत्र के अनुसार (कंपनी की) निवल स्वाधिकृत निधियाँ
6. सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम और
पूरा डाक पता
टेलीफोन सं. फैक्स सं. (अगर हो तो)
7. निम्नलिखित तारीख को बकाया जनता की जमाराशियां
 - (i) उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित तुलन पत्र की तारीख को
 - (ii) सितंबर 30, 1998 को
 - (iii) दिसंबर 31, 1998 को

नोट:

- (1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के स्पष्टीकरण में 'निवल स्वाधिकृत निधि' शब्दों को परिभाषित किया गया है।
- (2) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जनता से जमाराशि स्वीकरण (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 में जनता की जमाराशि शब्दों को परिभाषित किया गया है।

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है।

स्थान
दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी का
नाम
और हस्ताक्षर